FAX

पत्रांक –1प्रा0आ0–35 / 2009 / 3635 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 23/8/13

विषयः– बाढ़ के दौरान नावों को सुरक्षित एवं सुविधायुक्त परिचालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1722 दिनांक–07.07.2008 द्वारा नावों को सुरक्षित एवं सुविधायुक्त परिचालन हेतु विभागीय पत्रांक 2196 दिनांक–28.08.2003 मुख्य सचिव के पत्रांक 2408 दिनांक–06.08.2007 एवं परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या–12 दिनांक–10.02.2006 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए परिपत्रों में दिये गये निदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु पुनः उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

विभागीय स्तर से दिये गये निदेशों के बावजूद लगातार जिलों से नौका दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त हो रही है। अतएव, जनहित में जारी "नौका दुर्घटना से बचाव के उपाय" एवं विभाग द्वारा तैयार कराये गये नाव दुर्घटना से बचाव से संबंधित विडियों स्पॉट को ई–मेल के माध्यम से भेजते हुए अनुरोध है कि अपने जिले में इसकी व्यापक प्रचार प्रसार कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/8/13

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

(121)

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी

नाव दुर्घटना से बचाव के उपाय

- नावों की मरम्मति नियमित रूप से करायें।
- जानवरों को मनुष्यों के साथ सवार नहीं करायें। इससे नाव का संतुलन बिगड़ने की सम्भावना बनी रहती है।
- नाव के परिचालन के संबंध में नाविक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। नाबालिग/ अप्रशिक्षित नाविकों के नावों की सवारी न करें।
- वर्षा काल के समय नदियों में अतिरिक्त जल आ जाने के कारण उनकी धारा के प्रवाह में तीव्रता आ जाती है। ऐसे समय में तेज धारा में सवारी करने से बचें। अत्यन्त आवश्यक होने पर पूर्ण सावधानी के साथ नाव की सवारी की जाय।
- सवारी ढ़ोने वाले नावों पर पारम्परिक जीवनरक्षक उपकरण यथा हवा भरी हुई ट्यूब, रस्सी आदि अवश्य रखें।
- नाव जब किनारे पर ठीक से लग जाए तभी एक-एक कर नाव से उतरें।
- आंधी-तूफान एवं अतिवृष्टि की स्थिति में नाव की सवारी नहीं करें। यदि आप नाव पर सवार हैं तो यथाशीघ्र नाव को नजदीकतम किनारे पर लगायें।
- नावों में बिना अनुमति के स्थानीय मशीन लगाकर उसे चलाना अवैध है एवं कानुनी तौर पर दंडनीय है।
- नावों के मस्थूल पर लाल झंडा लगायें ताकि दूसरी तरफ से आने वाले नावों को दूर से ही देखा जा सके। सामने से आ रही नाव को पार करते समय गति धीमी रखें एवं सदैव अपनी नाव बाएं तरफ रखें।
- दूर्गम क्षेत्रों में या जहां रास्ते की स्पष्ट जानकारी नहीं है, वहां नौका की गति धीमी रखें ताकि अप्रत्याशित तौर पर सामने आने वाले पेड़/ चट्टान आदि से टकराने से बचा जा सके।
- रात्रि के समय नाव पर समुचित प्रकाश की व्यवस्था रखें जिससे रास्ता देखने एवं दूसरी नावों को अवगत कराने में असानी हो। यथा संभव रात्रि में नौका की सवारी से बचें।
- नाव पर क्षमता से अधिक सवारी बैठने की स्थिति में तुरंत इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दें।
- स्मरण रहे अनुशासित ढंग से रहने से कई दुर्घटनाएं टाली जा सकती है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या असुविधा होने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दें।

निवेदक

आपदा प्रबंधन विभाग,बिहार, पटना

(8)

पत्रांक-I-प्रा0आ0-26/2008......1722....../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

(बाढ़ प्रवण जिला)

पटना-15, दिनांक- 7/7/08

विषयः बाढ़ के दौरान नावों के सुरक्षित एवं सुविधायुक्त परिचालन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नावों के सुरक्षित एवं सुविधायुक्त परिचालन हेतु विभागीय पत्रांक- 2196 दिनांक 28.08.2003, मुख्य सचिव के पत्रांक 2408 दिनांक 06.08.2007 एवं परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या -12 दिनांक 10.02.06 की छायाप्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि इन परिपत्रों में दिए गए निदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

5/7/08

(रामेश्वर प्रसाद दास)

सरकार के अवर सचिव

अनुलग्नकः यथोक्त।

HCL\O2008-09\ Pra aa\ Draft\nav suvidhayukt parichalan

अशोक कुमार चौधरी

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2223804
Fax : 0612-2222085

7

पत्र संख्या 2408

दिनांक 06 अगस्त, 2007.

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
(बाढ़ प्रभावित जिला)

महाशय,

सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए नाव की व्यवस्था की गयी है । इसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नाव के प्रमुख स्थान पर टिन या लकड़ी की तख्ती लगाकर यह लिखा रहे - " जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क सेवा " ।

2. कृपया इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाए ।

विश्वासभाजन,

अशोक कुमार चौधरी 6/8/07

(अशोक कुमार चौधरी)

[illegible]/मधुबनी/बेगूसराय/समस्तीपुर/खगड़िया/
पूर्णियाँ/कटिहार/किशनगंज/अररिया/सहरसा/
सुपौल/मधेपुरा/शेखपुरा ।

पटना-15, दिनांक 22/8/03

विषय :- नाव के परिचालन एवं नाव/नाविकों के भाड़ा/मजदूरी के भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

प्रायः ऐसी शिकायत सरकार के स्तर पर प्राप्त होते रहती है कि बाढ़ साहाय्य में लगाये गये सरकारी/निजी नावों के परिचालन एवं नाव/नाविकों के भाड़ा एवं मजदूरी के भुगतान में पंचायत एवं अंचल स्तर पर अनियमितता बरती जाती है । उन्हें न तो परवाना दिया जाता है और न ही लॉगबुक ही दिये जाते हैं और न ही साप्ताहिक भुगतान किये जाते हैं । माननीय सदस्य बिहार विधान मंडल द्वारा भी इस प्रकार की शिकायतें बराबर आती रहती हैं ।

अतः नावों के परिचालन एवं नाव/नाविकों के भाड़ा/मजदूरी के भुगतान के संबंध में निम्नांकित अनुदेश दिये जाते हैं :-

(1) सरकारी नाव का परिचालन सुनिश्चित कराया जाय । इस पर प्रतिनियुक्त किये गये नाविकों की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से उसे लॉग बुक में प्रविष्टिकर सुनिश्चित किया जाय । सरकारी नावों के अग्रभाग पर "बिहार सरकार" एवं नाव संख्या लाल रंग से पेन्ट कर दर्ज करा दिया जाय तथा उसपर लाल झंडा भी लगा दिया जाय ।

(2) किराये पर ली गयी गैर-सरकारी/निजी नावों का परवाना अविलंब खोलकर निर्गत किया जाय ।

क्र०पृ०उ०------"2"

§3§ अधिगृहित नाव के उपरी हिस्से §मस्तूल§ पर लाल रंग से रंग दिया जाय तथा लाल झंडी लगा दिया जाय ताकि जनता यह समझ सके कि यह सरकार द्वारा अधिगृहित नाव है और उन्हें इसमें किराये का भुगतान नहीं करना है।

§4§ हर हाल में नाव/नाविकों का भाड़ा/मजदूरी का साप्ताहिक भुगतान स्थानीय मुखिया के समक्ष किया जाय।

§5§ प्रखंडवार/पंचायतवार परिचालित नावों की पंजी एवं उसके साप्ताहिक भुगतान का लेखा-जोखा संधारित किया जाय और प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अन्त में तुरत भेजी जाय ताकि आवश्यकतानुसार निधि की व्यवस्था की जा सके।

§6§ बाढ़ समाप्ति के उपरान्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी अंचलों में परिचालित नाव/नाविकों की जाँचकर अन्तिम प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

§7§ सरकारी/अधिगृहित नावों की प्रखंडवार/जिलावार सूची इस विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

अतः सभी संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि बाढ़-सहायय में लगाये गये सरकारी/निजी नावों के परिचालन एवं नाव/नाविकों के भाड़ा/मजदूरी के भुगतान के संदर्भ में उपर्युक्त अनुदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

§शिशिर सिन्हा§
सचिव-सह-साहायय आयुक्त।

ज्ञापांक 2196 /सा0पु0, पटना-15, दिनांक 22/8/03

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

§शिशिर सिन्हा§
सचिव-सह-साहायय आयुक्त।

संख्या--प्र.1/डब्लू.टी.-301/06--परि.-

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

पंचम लाल,
आयुक्त एवं सचिव, परिवहन विभाग एवं
राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला दण्डाधिकारी
वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना
सभी आरक्षी अधीक्षक

पटना, दिनांक- 10.2.2006

विषय:--यंत्रचालित अन्तर्देशीय नावों एवं नौघाटों के निबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण आदि से संबंधित नियमों / अनुदेशों के सख्त अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि राज्य में परिचालित हो रही नावों, विशेष रूप से यंत्रचालित नावों के दुर्घटनाग्रस्त होने से जान-माल की क्षति होती है । ऐसी नावों को आपराधिक तत्वों द्वारा आपराधिक गतिविधियों में भी प्रयोग किया जाता है । अतएव जान-माल की सुरक्षा एवं आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु नावों के निबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण आदि से संबंधित नियमों / अनुदेशों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है । इस संबंध में प्रमुख नियमों / अनुदेशों का संक्षिप्त विवरण सुलभ प्रसंग हेतु निम्नवत् दिया जा रहा है :-

1. सर्वे तथा नम्बरिंग - बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 की धारा 15 एवं धारा 22 क तहत पब्लिक फेरी तथा प्राईवेट फेरी पर नियंत्रण हेतु आदर्श नियमावली सरकार के पत्रांक 1059 दिनांक 09.03.1937 (प्रति संलग्न) के द्वारा परिचारित है । उक्त आदर्श नियमावली में वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में यथा अपेक्षित संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसे शीघ्र ही अधिसूचित किया जायगा ।

2. नावों का निबंधन एवं परमिट - बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत गठित उपर्युक्त आदर्श नियमावली में जिला दण्डाधिकारी को फेरी के निबंधन की शक्ति प्राप्त है । यंत्रचालित नाव अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अधीन आते है, अतएव उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित अन्तर्देशीय वाष्प पोत निबंधन नियमावली, 1951 में विहित प्रक्रियानुसार निबंधन करने की शक्ति सभी जिला दण्डाधिकारियों को अधिनियम की धारा 19 बी. की उप धारा (1) के तहत अधिसूचना संख्या 11 दिनांक 10.02.2006 (प्रति संलग्न) के द्वारा दी गई है । निबन्धन पदाधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के तहत घोषित सर्वेक्षक, (मोटर यान निरीक्षक) के तकनिकी निरीक्षण के उपरान्त नाव का निबंधन कर सकेंगे । यंत्रचालित नावों के निबंधन के क्रम में मोटर यान निरीक्षक तकनिकी दृष्टि से मूल्यांकन कर निर्माण की गुणवत्ता को प्रमाणित करेंगे । बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित आदर्श नियमावली मे आवश्यकतानुसार फेरी की

संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी को पूर्व से ही प्राप्त है ।

3. घाटों का निबंधन - बंगाल फेरी एक्ट, 1885 की धारा-7 से धारा-16 तक घाटों के स्थानों का निर्धारण, नियंत्रण, पर्यवेक्षण आदि की शक्ति जिला दण्डाधिकारियों को प्राप्त है । घाटों का स्थान निश्चित करते समय पहुँच पथ, मूलभूत सुविधाएँ, माल एवं यात्रियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था पर ध्यान दिया जायेगा ।

4. चालक अनुज्ञप्ति - (क)- साधारण नाव के संदर्भ में नाविक के लिए तैरने तथा नेभीगेशन एवं आपात स्थिति से निबटने का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होना न्यूनतम योग्यता है जिसे घोषणापूर्वक समर्पित करने पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा मान्यता दी जा सकती है ।
(ख)- यंत्र चालित नाव के संदर्भ में अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की धारा-23 के परन्तुक के आलोक में राज्य सरकार मोटर यान निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला परिवहन पदाधिकारियों को मर्चेन्ट शीपिंग एक्ट, 1958 में विहित योग्यताधारी व्यक्ति को अथवा राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नेभीगेशन इन्स्टीच्यूट, गायघाट, पटना सिटी (एन.आई.एन.आई.) से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को धारा 22ए के तहत अनुज्ञप्ति निर्गत करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

5. चालकों का प्रशिक्षण- भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकार द्वारा पटना के गायघाट में राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नेभीगेशन इन्स्टीच्यूट चलायी जा रही है, जहाँ प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था है ।

6. बीमा - अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के चाप्टर-VI A में बीमा के संबंध में प्रावधान है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के इस संबंध में सभी प्रावधान यथावत् लागू होंगे ।

7. जाँच - अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 एवं बंगाल फेरी एक्ट, 1885 में जांच, जप्ती, निबंधन को निलम्बित/ अनुज्ञप्ति रद्द करने, आदि हेतु पर्याप्त प्रावधान है, जिसके लिए जिला दण्डाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन को शक्तियाँ प्राप्त है । भारतीय दंड विधान 280 एवं 282 में भी आपराधिक मामला दर्ज कर जांच एवं दण्ड का प्रावधान है ।

अतः उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलाक में सभी नियमों/ अनुदेशों का स्मरण दिलाते हुए अनुरोध है कि यंत्रचालित अन्तर्देशीय नावों एवं नौघाटों के निबंधन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण आदि से संबंधित नियमों / अनुदेशों के सख्त अनुपालन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,

(पंचम लाल)
आयुक्त एवं सचिव, परिवहन विभाग एवं
राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना ।

आयुक्त एवं सचिव, परिवहन विभाग एवं
राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना ।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

एस. ओ. पटना, दिनांक- अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 (अधिनियम-1, 1917) की धारा 19 बी. की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल, सभी जिला दण्डाधिकारी को संबंधित जिला के क्षेत्राधिकार में चलनेवाले अन्तर्देशीय यंत्र चालित नावों के निबन्धन हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्राधिकारी नियुक्त करते है ।

(प्र.1/डब्लू.टी.-301/06 परि.)
बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

एस.ओ. पटना, दिनांक- का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

(प्र.1/डब्लू.टी.-301/06 परि.)
बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

S.O. No. Patna, dated In exercise of powers conferred Sub-Section (1) of Section 19 B of the Inland Vessel Act, 1917 (Act 1 of 1917) the Governor of Bihar is pleased to appoint all the District Magistrates as registering authority for Inland Mechanically Propelled boats plying in the territorial Jurisdiction of concerned district, under the said Act.

(S-1/WT -301/06.T-)
By the order of the Governor of Bihar

Commissioner and Secretary to the Government.

ज्ञापांक- प्र.1.डब्लू.टी.-301/06 परि. – 11, पटना, दिनांक- 10.2.2006
प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन के अनुरोध के साथ प्रेषित । साथ ही यह भी अनुरोध है कि गजट अधिसूचना की एक सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

HC/